कार्यालय – जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0, उत्तरकाशी।

पत्रांक/बेसिक–04/ 4839 /शिक्षक भर्ती/2025–26 दिनांक 10 जनवरी, 2026

कार्यालय ज्ञाप

सहायक अध्यापक प्राथमिक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु जनपदान्तर्गत निर्गत विज्ञप्ति के सापेक्ष तैयार की गयी पात्रता सूची विभागीय वेबसाईट schooleducation.uk.gov.in में प्रकाशित कर मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 12 जनवरी, 2026 को किया जाना निर्धारित किया गया है। सम्बन्धित अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र सत्यापन की कार्यवाही में निम्नांकित निर्देशों का अनुपालन करते हुए अभिलेख उपलब्ध कराये जाने आवश्यक होंगे :–

A. मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्यवाही निर्धारित तिथि को प्रातः 11.00 बजे से प्रारम्भ की जायेगी।

B. मूल प्रमाण पत्रों के सत्यापन की कार्यवाही में अभ्यर्थियो को श्रेष्ठता की वरिष्ठता क्रमानुसार आमंत्रित किया जायेगा। अतः विलम्ब से उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

C. समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण अंक पत्रों/प्रमाण पत्रों की मूल प्रति लाना अनिवार्य होगा। सभी अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेजों के साथ एक प्लास्टिक फोल्डर साथ लेकर आयेंगे।

D. अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अंक पत्र/प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

E. स्थायी निवास/मूल निवास प्रमाण–पत्र की मूल प्रति।

F. जाति प्रमाण–पत्र, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित प्रमाण–पत्र, भूतपूर्व सैनिक का डिस्चार्ज सर्टीफिकेट (यदि सेवाकाल में द्विवर्षीय डी0एल0एड0 प्रशिक्षण किया गया है, तो अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति)

G. दिव्यांगता से आच्छादित होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा स्थायी दिव्यांगता प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

H. आर्थिक रूप से कमजोर (EWS) धारक अभ्यर्थियों द्वारा शासनादेशानुसार नवीनतम प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

I. शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–164 दिनांक 28.06.2019 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (संशोधन) नियमावली, 2019 के प्राविधान से आच्छादित है तो सम्बन्धित अभिलेख की मूल प्रति।

J. उत्तराखण्ड राज्य से बाहर अन्य राज्य से सम्बन्धित अभ्यर्थी, जिनका विवाह उत्तराखण्ड राज्य में हुआ हो, के द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में विवाह होने से सम्बन्धित विवाह प्रमाण–पत्र का शपथपत्र। (शासनादेश संख्या–254/कार्मिक–2/2002 दिनांक 10–10–2002 के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अतिरिक्त अन्य किसी राज्य का कोई व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुमन्य आरक्षण का लाभ नहीं पा सकेगा। जिन महिला अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण पत्र पति के आधार पर निर्गत किये गये हैं ऐसे अभ्यर्थी अपने पिता के आधार पर निर्गत स्वयं का जाति प्रमाण पत्र संलग्न कर साथ लायेंगे तद्ोपरान्त ही सम्बन्धितों को उस वर्ग विषय में आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।

K. जिन अभ्यर्थियों का चयन समिति द्वारा चयन किया जायेगा भर्ती प्रकिया पूर्ण होने तक उनके समस्त मूल शैक्षिक/प्रशिक्षण एवं अन्य प्रमाण पत्र समिति के पास जमा/सुरक्षित रखे जायेंगे।

L. जिन अभ्यर्थियों के टी0ई0टी0 प्रमाण पत्रों को 07 वर्ष पूर्ण हो गये हों उनको नवीनीकृत यू0टी0ई0टी0/सी0टी0ई0टी0 प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

M. एन0आई0ओ0एस0 डी0एल0एड0 सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को इस आशय का नोटरी द्वारा निर्गत शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा एन0आई0ओ0एस0 डी0एल0एड0 प्रशिक्षण से पूर्व वे किसी भी प्रशिक्षण में सम्मिलित नहीं थे। अन्य किसी प्रशिक्षण योग्यता के आधार पर यू0टी0ई0टी0/सी0टी0ई0टी0–प्रथम पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गयी है।

N. जो अभ्यर्थी एन0आई0ओ0एस0 से प्राप्त डी0एल0एड0 प्रशिक्षण (2017–19) (सेवारत प्रशिक्षण) के आधार पर वर्तमान भर्ती प्रकिया में सम्मिलित हो रहे हैं, उन्हें प्रशिक्षण अवधि दिनांक 10 अगस्त 2017 से 31 मार्च, 2019 तक तद्समय सम्बन्धित संस्था/विद्यालय, जिस हेतु उन्हें प्रशिक्षित कराया गया था, में नियमित रूप से कार्यरत रहने से सम्बन्धित प्रमाणित अभिलेख प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। अन्यथा की स्थिति में उनके चयन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

O. एन0आई0ओ0एस0 डी0एल0एड0 सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को अन्य शैक्षिक /प्रशिक्षण प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त उनके दिनांक 10 अगस्त 2017 से 31 मार्च, 2019 तक सेवारत होने से सम्बन्धित प्रमाणित साक्ष्य सहित यथा नियुक्ति पत्र, नियुक्ति की विज्ञप्ति, प्रबन्धक/संस्था के प्रबन्धाधिकरण का अनुमोदन, वेतन आहरण का विवरण, उपस्थिति, पठन–पाठन की समय सारिणी इत्यादि।

P. प्रमाण पत्र सत्यापन की तिथि को वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने वाले अभ्यर्थियों के चयन पर कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा शेष उपलब्ध रिक्त पदों के सापेक्ष पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा न होने के उपरान्त चयन प्रक्रिया वहीं पर पूर्ण रूप से समाप्त कर दी जायेगी।

Q. मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयादेश दिनांक 21–11–2025 द्वारा ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित 169 याचीगणों के आवेदन को सम्मिलित किये जाने की अनुमति के क्रम में निर्धारित प्रक्रिया में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में कोई मानक निर्धारित न होने के कारण अनुपातिक रूप से पद सुरक्षित रखे गये है। ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों की पात्रता सूची निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में उचित निर्णय के उपरान्त अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

R. उक्त मेरिट सूची में यदि किसी अभ्यर्थी से कम गुणांक वाले अभ्यर्थी का चयन समान श्रेणी में हो रहा हो, तो ऐसे अभ्यर्थी पुष्ट साक्ष्यों सहित समिति के सम्मुख प्रस्तुत हो सकते हैं।

S. प्रमाण पत्र सत्यापन के दौरान यदि किसी अभ्यर्थी के शैक्षणिक, प्रशिक्षण अथवा अन्य प्रमाण पत्रों की वैद्यानिक पुष्ठि नही हो पाती है, तो उस स्थिति में समिति को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन प्रमाण पत्र सत्यापन की तिथि को ही निरस्त कर सकेगी।

नोट–

1. समस्त अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय अपने शैक्षिक, प्रशिक्षण एवं अन्य समस्त प्रमाण–पत्र दो–दो प्रतियों में स्वप्रमाणित कर साथ लायेंगे।
2. उत्तर प्रदेश अथवा अन्य राज्य से डी0एल0एड0 प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को काउंसलिंग की तिथि को इस आशय का शपथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा कि "उत्तर प्रदेश/अन्य प्रदेश से डी0एल0एड0 अथवा ऐसा प्रशिक्षण जिसे उत्तराखण्ड राज्य में डी0एल0एड0 नाम से जाना जाता है, वहां पर प्रशिक्षण में प्रवेश के समय सम्बन्धित प्रदेश के स्थाई निवास/मूल निवास प्रमाण–पत्र की बाध्यता नहीं थी।

जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा0शि0
उत्तरकाशी।

Scanned with OKEN Scanner